रेरा नं0–17–1018

Bhopal Development Authority, Bhopal

Ref.9401/EO/Rev/BDA/2025

Bhopal, Date: 07/03/25

E-AUCTION NOTICE

Bhopal Development Authority, Bhopal Call of e-Auction for PSP and Others Plots under the Yojna of Misrod Ph-2, Authority invites Tender-cum-Auction of Plots as mentioned under the following tables.

E-Auction Portal NO.	Description of Plots and sector	Use of Plots\ Units	Area in sq. Mtr.	Category of Reservation, if reserved	Reserve Price of plot\Unit	EMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misrod Ph- 2, Yojna						
2025_DTCP_407426	PSP SECTOR-A	PSP	3840	Unreserved	13,97,10,720	1,39,71,072
2025_DTCP_407427	PSP SECTOR-B	PSP	3370	Unreserved	12,26,10,710	1,22,61,071
2025_DTCP_407429	Intermediate Hospital /heath centre	Intermediate Hospital /heath centre	11080	Unreserved	40,31,23,640	4,03,12,364

Auction Schedule	Published Date: **08/03/2025 11:00 AM** Documents and Payment Submission Start Date: **08/03/2025 11:00 AM** Documents and Payment Submission End Date **17/03/2025 05:00 PM** Last Date and time for Bid Submission **17/03/2025 05: 00PM** Bid Opening date and Time (Technical Bid) **18/03/2025 05:00 PM** Auction Start Date: **20/03/2025 01:00 PM** Auction End Date: **20/03/2025 03:00 PM** Bid Opening date and Time (Financial Bid) **21/03/2025 03:00 PM** Auction Website : https://www.mptenders.gov.in INSTRUCTIONS: These documents and EMD are required to be duly filled in and signed by the bidder and thereafter uploaded in the website https://www.mptenders.gov.in and submit in Bhopal Development Authority, Bhopal during the time of submission of the bid.
Annexure	**Terms & Conditions of e-Auction**. 1- Details of Bidder (Annexure – I) INSTRUCTIONS: This document is required to be duly filled in and signed by the bidder and thereafter uploaded in the website https://www.mptenders.gov.in during the time of submission of the bid. 2- Affidavit by Bidder (Annexure – II) INSTRUCTIONS: This document is required to be duly filled and Notaries in and signed by the bidder and thereafter uploaded in the website https://www.mptenders.gov.in during the time of submission of the bid. 3- Terms & Conditions for Allotment of Property (Annexure – III). INSTRUCTIONS: Document is required to be duly filled in and signed by the bidder and thereafter Upload all mentioned in the Sale Notice & copy to https://www.mptenders.gov.in. Immediately on completion of the bidding.

भू-अर्जन अधिकारी
Estate Officer
भोपाल विकास प्राधिकरण
Bhopal Development Authority, Bhopal

ANNEXURE– III

भुगतान हेतु **नियम** एवं **शर्ते** निम्नानुसार **होगी**:–

1. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निधारण शुल्क (भू–राजस्व प्रीमियम राशि) पृथक से देय होगा ।
2. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा ।
3. जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ–सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि अग्रिम आधिपत्य के पूर्व पृथक से देय होगी ।
4. सम्पत्ति भू–स्वामी अधिकार पर विक्रय हेतु है ।
5. अन्य लागू टेक्स शासन नियमानुसार देय होगी ।
6. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौत्रा कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16–ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
7. ऑफर स्वीकृति राशि मूल्य का 90 प्रतिशत राशि 45–45 दिवस की समान चार किश्तों में देय होगा । यदि कोई आवंटी इसके पूर्व भी सम्पूर्ण राशि जमा करना चाहे तो राशि जमा कराया जाकर विक्रय विलेख निष्पादन कर पंजीकृत विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करने पर आधिपत्य प्रदान किया जावेगा । यह सुविधा केवल पी0एस0पी भूखण्डों पर ही लागू होगी ।
8. शेष राशि यदि कोई है तो प्राधिकरण द्वारा पृथक से भी सूचित किया जावेगा ।
9. ऑफर स्वीकृति अनुसार मांग पत्र जारी होने पर निर्धारित अवधि में राशि जमा न किये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा ।
10. निर्धारित अवधि में किश्त की राशि जमा नही करने की स्थिति में अथवा आवंटी के निवेदन पर जमा राशि वापिस चाहने पर सम्पूर्ण पंजीयन राशि राजसात कर ली जावेगी ।
11. प्रचलित व्ययन नियम में वर्णित नियम एवं प्रावधान मान्य होगें ।
12. सभी भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है।
13. भूखण्डों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है। भूखण्डों का स्थल निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
14. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्ते मान्य होगी।
15. शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियम एवं शर्ते पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
16. ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें नियत मूल्य पर कोई सम्पत्ति अन्तरित की गई हो तत्सबंधी नियम के अन्तर्गत उसी योजना में किसी सम्पत्ति के लिए बोली लगाने या आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
17. अंतिम किश्त की राशि विकास कार्य पूर्ण होने पर प्राधिकरण द्वारा मांग किये जाने पर आवंटियों द्वारा जमा किया जावेगा।
18. विक्रय विलेख डीड (रजिस्ट्री) की शर्ते आवंटी पर बंधनकारी रहेगी ।
19. वेबसाईट पर घोषित विज्ञाप्ति की शर्ते मान्य होगी।
20. ऑफर स्वीकृति उपरान्तं यदि कोई हितग्राही अपना ऑफर वापिस लेना चाहता/चाहती है तो जमा पंजीयन राशि राजसात कर ली जावेगी ।
21. सार्वजानिक एवं अर्द्वसार्वजानिक (पी0एस0पी) के अन्तर्गत भोपाल मास्टर प्लान एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निर्धारित उपयोग हेतु भूखण्ड आरक्षित है ।
22. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष महोदय भोविप्रा का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।